

हिमाचल प्रदेश सरकार  
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013

Order

Dated Shimla-171002, the

**Sub :- Diversion of 0.4044 hectares of forest land in favour of HPPWD for the construction of Sastar to Matani road (KM.1/645 to 3/260), within the jurisdiction of Hamirpur Forest Division, Distt. Hamirpur, HP.**

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9-HPB461/2011-CHA** दिनांक **05.07.13** के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा 0.4044 hectares of forest land in favour of HPPWD for the construction of Sastar to Matani road (KM.1/645 to 3/260), within the jurisdiction of Hamirpur Forest Division, Distt. Hamirpur, HP को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- 2 कम से कम वृक्ष कटवाये जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार तेईस वृक्षों से अधिक नहीं होगी।
- 3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार U-203 Galore C-1 में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये **96,800/-** (छियानवे हजार आठ सौ मात्र) की राशि से कुल **1.00** हैक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- 4 No labour camp shall be established on the forest land.
- 5 The User Agency shall provide alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.
- 6 The user agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the flora and fauna available in the area.
- 7 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- 8 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देश संख्या **11-48/2002 - FC** दिनांक **29/30 अप्रैल-2005**, **5-3/2007-FC** दिनांक **17 जनवरी 2011** तथा अन्य जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
- 9 यदि कोई अन्य संबंधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुवश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

SI/PCA  
MPCF (FCA)

2028  
31/7/13  
PCF  
25/7

- 10 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ के अर्न्तगत पूर्व में जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9-HPB461/2011-CHA** दिनांक **05.07.13** जारी सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित की जायेगी। (copy enclosed).
  - 11 उपरोक्त निर्माण में जो भी वृक्ष आयेगें उन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा हटया जायेगा।
  - 12 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector-cum-Deputy Commissioner, District Hamirpur, HP.
- उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार  
प्रधान सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार बिमला -2

Enclst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA)

Dated, Shimla-171001 the, 23/7/13

Copy is forwarded to :-

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment and Forests, Bays No.24- 25, Sector-31 -A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer -cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001
5. The Deputy Commissioner, Hamirpur, Distt, Hamirpur, Himachal Pradesh.
6. Executive Engineer, Hamirpur Division HPPWD Hamirpur, Distt Hamirpur, HP.
7. CCF, Hamirpur /DFO, Hamirpur Forest Division, Distt. Hamirpur H.P.
8. Guard File.

  
Under Secretary (Forests) to the  
Govt. of Himachal Pradesh.